न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 18/2020

अकबर पुत्र श्री इलामुदीन जाति सिक्का, निवासी कोलिण्डा, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम अकबर अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 26/2019 निर्णय दिनांक 04.06.2020

उपस्थितिः—

1 श्री जाफर अली, एडवोकेट ————— —————— ———————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 12.03.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.06.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अकबर मु0नं0 26/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अपीलांट का विवादग्रस्त जमीन पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में मकान बनाकर काबिज होना बताया है जिससे जाहिर है कि विवादग्रस्त जमीन अपीलांट का पुराना कब्जा है। विवादग्रस्त जमीन में करीब 100 लोगों की गुवाड़ी बसी हुई है जिसमें पानी व बिजली का कनेक्शन है, अन्य लोगों को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस नहीं दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलांट एक गरीब व्यक्ति है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 04.06.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– जिलाधीश झुंझुनू के आदेश एफ 12 (3) (15)राज/81/ 3249–3261 दिनांक 6 अगस्त, 1981द्वारा ग्राम कोलिण्डा की उक्त भूमि खसरा नंबर 175 रकबा 46.0हैक्टर जोहड़ आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है। विवादित भूमि जोहड़ की न होकर आबादी भूमि है। अपीलांट का विवादग्रस्त जमीन पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में मकान बनाकर काबिज होना बताया है जिससे जाहिर है कि विवादग्रस्त जमीन अपीलांट का पुराना कब्जा है। विवादग्रस्त जमीन में करीब 100 लोगों की गुवाड़ी बसी हुई है जिसमें पानी व बिजली का कनेक्शन है, अन्य लोगों को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस नहीं दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलांट एक गरीब व्यक्ति है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 04.06.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 506 कुल रकबा 4.29 है0, किस्म गै.मु. जोहड़ के रकबा 0.08 हैक्टर पर तारबंदी व मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान [illegible]गण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विवादित भूमि आबादी भूमि [illegible] के संबंध में जिलाधीश झुंझुनू का आदेश दिनांक 6. अगस्त,1981 एवं विवादित भूमि के संबंध में नकल निक्शा किश्तवार एवं मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

क्षेत्रफल आदि दस्तावेजात की सत्यपित प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त दस्तावेजात का मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया कार्यालय जिलाधीश,झुंझुनू के आदेश एफ 12 (3) (15) राज/81/3249–3261 दिनांक 6 अगस्त,2081 के द्वारा अन्य ग्राम पंचायतों के साथ ग्राम कोलिण्डा की भूमि खसरा नंबर 175 रकबा 46.0 हैक्टर जोहड़ को आबादी विस्तार हेतु आवंटित किया गया है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से भूमि पुराना खसरा नंबर 175 मी के नये खसरा नंबर 506 बने हैं तथा नक्शा किश्तवार में विवादित भूमि आबादी भूमि अंकित है। अपीलांट का कथन है कि उसका वर्षों पुराना कब्जा है तथा अन्य 100 परिवार पक्के मकानात बनाकर आबाद हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2020 उनवानी सरकार बनाम अकबर मु0नं0 26/2019 निरस्त किया जाता है । पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की विधिसम्मत विवेचना करते हुये पुनः विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested